

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया कुशीनगर।

परिवाद संख्या-1240/2019

अश्वनी कुमार तिवारी बनाम नन्द कुमार चौधरी आदि

थाना- कसया, जिला कुशीनगर ।

दिनांक:- 24/03/2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित । बार-बार पुकार कराये जाने पर भी न तो परिवादी उपस्थित आया और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की प्रस्तुत प्रकरण में कोई रूचि नहीं रह गयी है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कसया, कुशीनगर।